सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

कोविड-19:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कार्यस्थल पर मानक संचलन प्रक्रिया

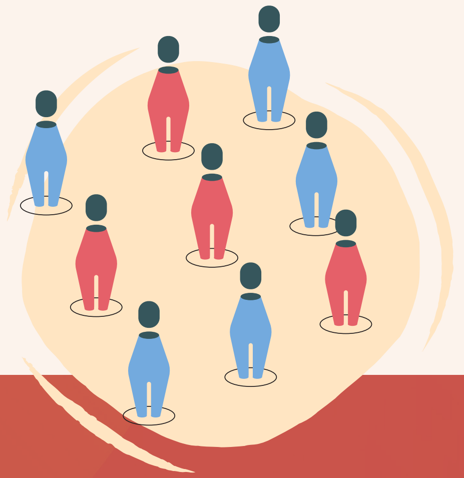

उद्देश्य

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कर्मचारियों एवं कार्मिको के बीच कोविड-19 के प्रसार को रोकने के साथ साथ व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करना ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो।

सफाई और शुद्धिकरण

निम्नलिखित परिसरों में सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से रोगाणुमुक्त किया जाएगा:

- भवन, कार्यालय आदि के प्रवेश द्वार।
- कैफेटेरिया और कैंटीन।
- बैठक कक्ष, उपलब्ध खुले क्षेत्र / बरामदा / स्थल प्रवेश द्वार, भवन के कमरे आदि।
- उपकरण और लिफ्ट
- वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, वॉटर पॉइंट आदि।
- दीवारें / सभी अन्य धरातल

परिवहन सुविधाएं

- बाहर से आने वाले कामगारों के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर निर्भर रहे बिना विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 30-40% यात्री क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहन और मशीनरी को अनिवार्य रूप से रोगाणुमुक्त स्प्रे किया जाना चाहिए।

कार्यक्षेत्र उपाय

- स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ सभी प्रवेश और निकास पॉइंटों और सामान्य क्षेत्रों में हाथ धोने और सैनिटाइज़र के लिए सभी प्रावधान किये जायेंगे।
- कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य।
- गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना पूर्णतः निषिद्ध होना चाहिए।

सामाजिक दूरी

- कार्य स्थलों पर शिफ्टों के बीच एक घंटे का अंतराल होगा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ का लंच ब्रेक आगे पीछे किया जायेगा।
- 10 या अधिक लोगों की बड़ी सभाओं या बैठकों को हतोत्साहित करना।
- रोज़गार स्थलों और सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फीट दूर बैठें।
- 2/4 से अधिक व्यक्तियों (आकार पर निर्भर करते हुए) को लिफ्टों या होइसट्स में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
- ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए
- साइटों पर गैर-अनावश्यक आगंतुकों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।

चिकित्सा सुविधाएं

- कामगारों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए।
- आस-पास के क्षेत्रों में अस्पताल / क्लीनिक, जो कोविड -19 के मरीज़ों के इलाज के लिए अधिकृत किये हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए और कार्य स्थल पर हर समय सूची उपलब्ध होनी चाहिए।

कामगारों की सुरक्षा के उपाय

- कामगारों को कार्यस्थल पर निरंतर मास्क पहनना चाहिए।
- कामगारों को एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर का अंतर बनाए रखना चाहिए
- कामगारों को संपर्क से बचने के लिए अलग से लंच ब्रेक लेना चाहिए
- कामगारों को नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने चाहिए और अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए
- यदि किसी कामगार में लक्षण विकसित होते हैं या बीमार पड़ता है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए।
- कामगार और उनका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप डाउनलोड करें।

Aarogya Setu

मैं सुरक्षित | हम सुरक्षित | भारत सुरक्षित

यदि कोई भी कर्मचारी बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण विकसित करता है - तो इसे तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या मान्यता प्राप्त कोविड 19 केंद्र को सूचित किया जाना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए,
कृपया गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया
दिशा-निर्देश देखें
दिनांक 15 अप्रैल, 2020 (No. 40-3/2020-DM-I(A)